उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2
संख्या-65/2025/405/2025/27-2002/3/2025-2
लखनऊ :: दिनांक 24 मार्च, 2025

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-55/2025/224/2025/27-2002/3/2025-2 दिनांक 19.03.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में नाबार्ड पोषित मद के अन्तर्गत 231 अदद् नई परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में विभिन्न जनपदों की कुल 231 अदद नई बाढ़ परियोजनाओं की नाबार्ड मद से वित्त पोषण होने की प्रत्याशा में कुल लागत रू0 10,76,78,71,000.00 (रूपये दस अरब छिहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख इकहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-23-नदी में सुधार व कटान निरोधक योजनाएं (नाबार्ड पोषित)-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत बजट व्यवस्था एकमुश्त (नई श्रेणी) की अवशेष धनराशि में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रूपये 3,09,76,83,000.00 (रूपये तीन अरब नौ करोड़ छिहत्तर लाख तिरासी हजार मात्र) एवं लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय-03-जल निकास-103-सिविल निर्माण कार्य-07-जल निकास योजना (नाबार्ड पोषित)-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट व्यवस्था एकमुश्त (नई श्रेणी) में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रूपये 55,11,13,000.00 (रूपये पचपन करोड़ ग्यारह लाख तेरह हजार मात्र) अर्थात कुल रूपये 3,64,87,96,000.00 (रूपये तीन अरब चौंसठ करोड़ सत्तासी लाख छियानबे हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 19.03.2025 के प्रस्तर-2 की तालिका में अंकित खण्ड/मण्डल/संगठन के नाम में कतिपय त्रुटियों के दृष्टिगत कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, अनु0 एवं नियो0 (बाढ़) मण्डल, सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ के पत्रांक-428/अनिबामं/यू0-10/ दिनांक 24.03.2025 के क्रम में निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित वित्तीय स्वीकृति की तालिका के क्रमांक पर अंकित परियोजना के सापेक्ष स्तम्भ-3 में अंकित खण्ड/मण्डल/संगठन के स्थान पर स्तम्भ-4 में अंकित खण्ड/मण्डल/संगठन के नाम पढ़े जाय।

मद संख्या	**वित्तीय स्वीकृति की तालिका के क्रम संख्या**	**खण्ड संगठन का नाम/लमण्ड/**	**संशोधित खण्डसंगठन का /लमण्ड/ नाम**
1	2	3	4
94-4711-01-103-23-24 नदी में सुधार व कटाव निरोधक योजनाएंनाबार्ड) पोषित(	74	गोण्डा	सरयू परियोजना प्रथम, अयोध्या
	147	बैराज यांत्रिक अनुरक्षण खण्ड, कानपुर	बैराज यांत्रिक अनुरक्षण खण्ड, वाराणसी
	148	बैराज यांत्रिक अनुरक्षण खण्ड, कानपुर	बैराज यांत्रिक अनुरक्षण खण्ड, वाराणसी
	114	पंचम मण्डल सिंचाई, बरेली	पंचम मण्डल सिंचाई कार्य, बरेली
94-4711-03-103-07-24 जलनिकास योजना नाबार्ड) (पोषित	3	ड्रेनेज खण्ड-2, गोरखपुर	बाढ़ खण्ड-2, गोरखपुर
	16	ड्रेनेज खण्ड-2, महराजगंज	सिंचाई खण्ड-2, महराजगंज
	62	देवकली पम्प नहर प्रखण्ड प्रथम, गोरखपुर	देवकली पम्प नहर प्रखण्ड प्रथम, गाजीपुर

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

आलोक कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(3) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) प्रमुख अभियन्ता(परि0 एवं नियो0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) सम्बन्धित जिलाधिकारी ।
(6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(7) नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, शासन।
(8) उप-महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, 11 विपिन खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
(9) मुख्य अभियंता, अनु0 एवं नियो0(बाढ़) , सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(10) सम्बन्धित मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
(11) मुख्य अभियंता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(12) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(13) अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
(14) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में)/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
(15) सिंचाई अनुभाग-9
(16) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
आलोक कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।